

कार्यालय-जिलाधिकारी, देहरादून


पत्र संख्या- /स.क./वनाधिकार/बैठक/2018-19 दिनांक 25 अक्टूबर, 2018
वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत निवासी
हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-6 (समय समय पर यथा संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालीय भारत सरकार के पत्र संख्या-11-9/98-FC(pt) दिनांक 03 अगस्त, 2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 25.10.2018 में जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण उपस्थित रहें। इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श किया गया।


जनपद देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन कक्ष संख्या नाही-2 व नाही-4 में सनगांव से नाहीकला तक मार्ग का नव निर्माण हेतु 25.10.2018 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड/अधिशाली अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा सनगांव एवं हल्द्वारी के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 19.05.2018 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा-6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी, सदर, देहरादून की अध्यक्षता में गठित उपजिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन कुल उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में यह पाया कि देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन कक्ष संख्या नाही-2 व नाही-4 में सनगांव से नाहीकला तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु चिन्हित भू-भाग पर वन अधिकार हेतु किन्हीं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून
सदस्य/सचिव


प्रभागीय वन अधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
सदस्य


जिलाधिकारी,
देहरादून
अध्यक्ष

Form-I
(For Linear Projects)

Government of Utterakhand

Office of the District Collector Dehradun

No.

Date 25/10/18

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 2.23 hectares land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttarakhand/Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh for construction of Sungaon - Nahikalan Motor Road in Dehradun District falls within jurisdiction of Sungaon Village, Gram Panchayat Nahikalan, Gram Panchayat Sindhwal Gaon and Kshetra Panchayat Haldwadi in Doiwala Tehsil.

It is further certified that :-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.23 of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divison Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....
- The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it,
- The Proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal/Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- as above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Form-II
(For Project other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No.

Date 25/10/18

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 2.03 hectares forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttarakhand/Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh for construction of Sungaon Nahi kalan Motor Road in Dehradun District falls within jurisdiction of Sungaon Village, Gram Panchayat Nahikalan, Gram Panchayat Sindhwal Gaon and Kshetra Panchayat Haldwadi in Doiwala Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.03 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divison Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....
- (a) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest dwellers, sho are eligible under the FRA:
- (b) The each of concerned Gram Sabha(s), has been certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (c) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present:
- (d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it:
- (e) The rights of Primitive Tribal/Groups and pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl. :- as above.

(Full official seal of the
District Collector)
Dehradun

परियोजना विवरण :-जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.238 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डोईवाला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला

उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सनगाँव से नाही कलां मोटर मार्ग (0.80 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.225 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 2.03 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अ०ख० लो०नि०वि०, ऋषिकेश (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, की दिनांक...06.11.16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती कुश चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्रीमती कुश चौहान उपजिलाधिकारी तहसील डोईवाला..... अध्यक्ष
2. श्री भारत भूषण मर्तोल्या उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री मेधा प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला सदस्य/सचिव 06/11/16
4. श्रीमती सरीता सिन्धवाल बी०डी०सी० क्षेत्र (SLSC) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम सभा सनगाँव से नाही कलां मोटर मार्ग के निर्माण कार्य परियोजना हेतु 2.03 हे० वन भूमि लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अ०ख० लो०नि०वि०, ऋषिकेश प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत सनगाँव से नाही कलां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.03 हे० वन भूमि लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड, अ०ख० लो०नि०वि०, ऋषिकेश को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारी
जनपद- देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-डोईवाला
जनपद- देहरादून

प्रारूप-30.3

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.238 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - नाही कलां

तहसील-डोईवाला, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र



उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम सभा सनगांव से नाही कलां मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.85 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.225 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.03 हे० वन भूमि का लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड/अधिशाली अभियन्ता, अ०ख० लो०नि०वि०, ऋषिकेश विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नाही कला द्वारा दिनांक 13/07/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नाही कला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड/ अधिशाली अभियन्ता, अ०ख० लो०नि०वि०, ऋषिकेश (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - 214119
विकास खण्ड - 214130
जिला - 214167



ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

परियोजना विवरण :-जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.03 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - नाही कलां / सनगांव / सिंधवालगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजदेव सिंह	
2	नरदेव सिंह	
3	राजेन्द्र सिंह	
4	धीरेन्द्र सिंह	
5	दीपक सिंह	
6	पुनित सिंह	
7	जगमोहन सिंह	
8	पमोद पुंजी	
9	सुधीर मनवाल	
10	सतेन्द्र सिंह	
11	रामरसपाल	
12	सुनील सिंह मनवाल	
13	चन्द किशोर	
14	सुधीर शर्मा	
15	देवि लाल	
16	रामलाल	
17	जुगलकिशोर	
18	विजेंद्र सिंह	
19	सुदेन्द्र मनवाल	
20	मान किशोर चमोली	
21	पुरुष किशोर चमोली	
22	प्रेम किशोर चमोली	
23	सत्यप्रकाश विजलवाण	
24	बुद्ध सिंह	
25	सुधीर सिंह	
26		
27		
28		



ह०/-
ग्राम प्रधान

